न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी — रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 127/2024

अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री सतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 24 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

...... वादी

बनाम

1. रणजीत कौर पुत्री सतपाल सिंह पत्नी श्री गुरसाहब सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी मसीत तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. रमनदीप पुत्री सतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 24 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर ।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री बलराम सुथार — वादी
अधिवक्ता श्री राकेश कुमार — प्रतिवादी 1
पैरोकार राज — (प्रतिवादी 3)
प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 28.02.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी के पिता सतपाल सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह के नाम चक 24 एमएल पटवार हल्का लठ्ठावाली तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/40 के मुरब्बा नम्बर– 51,67,68 की कुल 8.906 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 759/8906 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व चक 11 एम एल के खाता संख्या–78/70 के मुरब्बा नम्बर– 59 के किला नम्बर 2/2 में 0.101 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या–2 के नाम एवं चक 25 एम एल पटवार हल्का लठ्ठावाली के खाता संख्या– 46/40 के मुरब्बा नम्बर– 8, 19, 25,58 के कुल 13.410 हैक्टेयर में से वादी के नाम 53/6705 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 7/894 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–2 के नाम 7/894 हिस्सा तथा चक 24 एम एल पटवार हल्का लठ्ठावाली तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–17/21 के मुरब्बा नम्बर–14,15, 18,20 की कुल 6.229 हैक्टेयर में से वादी के नाम 1983/6229 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 173/6229 व प्रतिवादी संख्या–2 के नाम 173/6229 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है। वादी के पिता सतपाल सिंह का देहान्त 14/09/1986 को हो चुका है व वादी की माता बलविन्द्र कौर पत्नी सतपाल सिंह का देहान्त दिनांक–15/05/2002 को हो चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति सलंग्न है व वादी के माता–पिता के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 है इसके अलावा अन्य कोई जायज वारिस नहीं है । वारिस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति सलंग्न है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

दी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के पिता सतपाल सिंह पुत्र
गेन्द्र सिंह के मृत्यु उपरान्त विरासतन में प्राप्त हुई इस कारण जदी जायदाद है व
तिवादी संख्या– 1 व 2 की शादी इसी जदी जायदाद की आय से की गयी है और
दी व प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के मध्य पारिवारिक बंटवारा किया गया जिसके अनुसार
तिवादी संख्या– 1 व 2 द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि का हकत्याग वादी के हक में
ौखिक रूप से कर दिया गया व वर्तमान में मौखिक पारिवारिक बंटवारे अनुसार उक्त कृ
ि भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए
ारिवारिक बंटवारे अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि व
ादी के पिता नाम दर्ज कृषि भूमि चक 24 एम एल के खाता संख्या – 60/40 के
ुरब्बा नम्बर– 51,67,68 की 8.906 हैक्टेयर में से वादी के पिता के नाम दर्ज
759/8906 हिस्सा वादी को प्राप्त हुआ है और वादी का उक्त वर्णित कृषि भूमि पर
शान्तिपूर्वक तरीके से कब्जा चला आ रहा है और वादी द्वारा काफी रूपया खर्चा कर
उक्त कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया गया और अब जमीन काफी उपजाऊ व
कीमती हो चुकी है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से बार–बार यह आग्रह किया
गया कि पारिवारिक बंटवारे अनुसार वादी को प्राप्त कृषि भूमि चक 24 एमएल के खाता
संख्या 17/21 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 173/6229 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या –
2 के नाम 173/6229 हिस्सा व चक 11 एम एल के खाता संख्या – 78/70 के मुरब्बा
नम्बर–59 के किला नम्बर– 2/2 में 0.101 हैक्टेयर जोकि प्रतिवादी संख्या–2 के नाम
दर्ज है व चक 24 एम एल के खाता संख्या – 60/40 में वादी के पिता के नाम दर्ज
759/8906 हिस्सा व चक 25 एमएल के खाता संख्या– 46/40 में प्रतिवादी संख्या 1
के नाम 7/894 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 7/894 हिस्सा का काश्तकार
मानते हुए वादी के नाम करवा देवें परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा हर बार टाल मटोल किया
जाता रहा है तथा दिनांक–25/07/2024 को वादी के नाम करवाने से स्पष्ट इन्कार हो
गया। यही बर बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है क्यों कि
उक्त भूमि पर कब्जा काश्त भी मौखिक बंटवारा अनुसार वादी का चला आ रहा है। इस
प्रकार वादी उक्त कृषि भूमि अपने नाम करवाने का अधिकारी है। यह कि वादी का वाद
माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है एवं काबिल समाअत
अदालतवाला है तथा तारीख इन्कारी से बिना किसी देरी के उचित न्याय शुल्क पर पेश
है। अतः वाद प्रस्तुत करके निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न
प्रकार से डिक्री की जावेः –

(क) यह कि वाद पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि चक 24 एमएल के खाता संख्या– 17/21 में प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम 173/6229 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–2 के नाम 173/6229 हिस्सा व चक 11 एम एल के खाता संख्या– 78/70 के मुरब्बा नम्बर–59 के किला नम्बर – 2/2 में 0.101 हैक्टेयर जोकि प्रतिवादी संख्या– 2 के नाम दर्ज हिस्सा एवं चक 24 एम एल के खाता संख्या – 60/40 में वादी के पिता के नाम दर्ज 759/8906 हिस्सा व चक 25 एमएल के खाता संख्या– 46/40 में प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम 7/894 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–2 के नाम 7/894 दर्ज हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

(ख) कि वादी के हक में चक 24 एमएल के खाता संख्या–17/21 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 173/6229 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–2 के नाम 173/6229 हिस्सा व चक 11 एम एल के खाता संख्या–78/70 के मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर–2/2 में 0.101 हैक्टेयर जोकि प्रतिवादी संख्या–2 के नाम दर्ज है व चक 24 एम एल के खाता

Scanned with CamScanner

ग्रा 60/40 में वादी के पिता के नाम दर्ज 759/8906 हिस्सा व चक 25 एमएल के ता संख्या 46/40 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 7/894 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 नाम 7/894 हिस्सा कृषि भूमि की खातेदारी की डिक्री वादी के हक में खिलाफ ादीगण सादर फरमायी जावे और इसी अनुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में ल दरामद किया जावे।

) कि अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे अता फरमावे

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त शीर्षक के वाद में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 जो कि आपस में रिश्तेदार है और वाद की विषयवस्तु पारिवारिक म्मति के आपसी समझौते को ना मानने का विवाद वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य त्पन्न हुआ था उसमें आज पंचायत व बिरादरी एवं गौजिज व्यक्तियों की मध्यस्थता से ाजीनामा हो गया है और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एवं वादी द्वारा पारिवारिक समझौता को मानना स्वीकार कर लिया है यानि वादी तथा प्रतिवादी संख्या–1 के मध्य अब सम्मति के पारिवारिक समझौते के सम्बन्ध में विवाद नहीं रहा है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या–1 पूर्व में हुए पारिवारिक समझौते को मानने के लिए पाबन्द रहेगे एवं उसका अवहेलना नहीं करेगें। राजीनामा के अनुसार अब वादी के हक में चक 24 एमएल के खाता संख्या– 17/21 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 173/6229 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–2 के नाम 173/6229 हिस्सा व चक 11 एम एल के खाता संख्या–78/70 के मुरब्बा नम्बर – 59 के किला नम्बर – 2/2 में 0.101 हैक्टेयर जोकि प्रतिवादी संख्या–2 के नाम दर्ज है व चक 24 एम एल के खाता संख्या–60/40 में वादी के पिता के नाम दर्ज 759/8906 हिस्सा व चक 25 एमएल के खाता संख्या 46/40 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 7/894 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 7/894 हिस्सा कृषि भूमि की खातेदारी की डिक्री वादी के हक में खिलाफ प्रतिवादीगण सादर फरमायी जावे और इसी अनुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 सहमत है जिसको कोई किसी प्रकार की आपति नहीं है। लिहाजा यह राजीनामा दोनो पक्षकारान ने अपनी अपनी सहमति व रजामन्दी से बिना जबर दबाव के पूर्ण स्वेच्छा से सुन, समझ कर तहरीर करवा दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे ।

प्रतिवादी संख्या 2 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 45 दिनांक 02.01.2025 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रकरण के संबंध में पटवारी हल्का लट्ठावाली से रिपोर्ट ली गई, जिसके सम्बंध में बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार से है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 वर्ष 2076 चक 11 एमएल के खाता सं. 78 के मु.नं. 59 के कि.नं. 2/2 में 00.101 है० नहरी रमनदीप कौर पुत्री सतपाल सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। चक 24 एमएल के खाता सं. 17 सयुंक्त खाता में मु.नं. 14–15–18–20 कुल 6.229 है0 मे से रणजीत कौर पुत्री सतपाल सिंह 173/6229 हिस्सा रमनदीप कौर पुत्री सतपाल सिंह 173/6229 हिस्सा सुखविन्द्र सिंह पुत्र सतपाल सिंह 1983/6229 हिस्सा जाति जटसिख दर्ज रिकार्ड है एवं चक 24

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

एल के सयुंक्त खाता सं. 60 के मु.न. 51–67–68 कुल 8.906 है0 भूमि मे से सतपाल ह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के नाम 759/8906 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा चक 25 एमएल खाता सं. 46 सयुंक्त खाता में मु.नं. 8–19–25–58 कुल 13.410 है0 मे से रणजीत र पुत्री सतपाल सिंह 7/894 हिस्सा रमनदीप कौर पुत्री सतपाल सिंह 7/894 हिस्सा ब्रविन्द्र सिंह पुत्र सतपाल सिंह 53/6705 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। पुछताछ करने पर नदीप कौर पुत्री सतपाल सिंह वर्ष 2003 से घर से लापता होना बताया गया। छताछ उपरोक्त सतपाल सिंह एव वारिसान के नाम दर्ज भूमि पर मौके पर सुखविन्द्र ह पुत्र सतपाल सिंह जाति जटसिख द्वारा काश्त करना बताया गया ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का वलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2070 –2073 ग्राम 24 एमएल, टवार क्षेत्र लठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 60/40, जमाबंदी म्वत्–2070 –2073 ग्राम 24 एमएल, पटवार क्षेत्र लठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता ख्या 17/21, जमाबंदी सम्वत्–2072 –2075 ग्राम 11 एमएल, पटवार क्षेत्र लठावाली अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 78/70, जमाबंदी सम्वत्–2070 –2073 ग्राम 25 मएल, पटवार क्षेत्र लठावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 46/40 की प्रति पेश ो गई। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 45 दिनांक 02.01.2025 में अंकित बिन्दु ंख्या 2 के अनुसार रमनदीप कौर पुत्र सतपाल सिंह वर्ष 2003 से घर से लापता होना ताया गया है।

राजस्थान लण्ड रेवेन्यू(लेण्ड रिकॉर्ड्स) रूल की धारा "138. अनुपस्थित व्यक्तियों ग अधिकार –के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार *जब किसी अधिकारधारी के बारे में, जिसको धिकार अभिलेख अथवा वार्षिक अभिलेख में दर्ज किया गया है चाहे वह उसमें ैरहाजिर (अनुपस्थित) अथवा कब्जा रहित (गैर–काबिज) के रूप में वर्णित हो अथवा हीं उन लोगों को पांच साल तक पता न चले जिनके द्वारा यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतः सुनता तो नामांतरण की तस्दीक करने वाला अधिकारी (जब तक उसको कोई विपरीत कारण दिखाई न दे) यह मान लेगा कि वह मर गया है एवं तदनुसार आज्ञा पारित कर देगा, परन्तु अधिकार अभिलेख या सालाना अभिलेख से उसका नाम हटाये जाने की आज्ञा देने से पहले अधिकारी को अपने आपको संतुष्ट कर लेना चाहिये कि गैर हाजिर व्यक्ति के बारे में यह मालूम करने के लिए आया वह जीवित है और उसको उपस्थित होने के अवसर प्रदान करने हेतु सारी युक्ति से कोशिश कर ली गई है।*

इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार 2003 से लापता है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर. डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री

ण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर चक 24 एमएल के खाता संख्या–17/21 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 173/6229 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–2 के नाम 173/6229 हिस्सा व चक 11 एम एल के खाता संख्या–78/70 के मुरब्बा नम्बर– 59 के किला नम्बर– 2/2 में 0.101 हैक्टेयर जोकि प्रतिवादी संख्या–2 के नाम दर्ज है व चक 24 एम एल के खाता संख्या–60/40 में वादी के पिता के नाम दर्ज 759/8906 हिस्सा व चक 25 एमएल के खाता संख्या 46/40 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 7/894 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 7/894 हिस्सा कृषि भूमि का वादी सुखविन्द्र सिंह पुत्र सतपाल सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28.02.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कौर)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner